तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 53/2024 अनवान मृत पेमाराम के कायम मुकाम बाबूलाल व अन्य बनाम भैराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/01/2026	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल हो। उभयपक्ष की सहमति से प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि उक्त प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र संख्या 22/2017 में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 के द्वारा उपशमित किया गया जबकि निगरानी में अन्तर्गत आदेश 22 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिये उसे उपशमित नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। प्रार्थीगण लम्बे समय से बैगलोर में निवासरत है और अधिवक्ता द्वारा सूचित नहीं किये जाने के कारण विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर नहीं लिया जा सके और उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र उपशमित किया गया। चूंकि निगरानी में आदेश 22 के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिये म्याद भी बाधा नहीं देती है। इसलिये उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र में पारित आदेश को अपास्त फरमाते हुये प्रार्थीगण के विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर लेने के आदेश प्रदान करावे। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित मूल निगरानी संख्या 76/2016 निर्णय दिनांक 10.07.2017 के द्वारा खारिज की गई। उसके पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.10.2017 को पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रार्थी पेमाराम दिनांक 20.05.2020 तथा घेवरराम दिनांक 14.12.2021 को फौत हो जाने से उनके कायम मुकाम को पक्षकार नहीं बनाने से दिनांक 28.11.2022 को उक्त प्रकरण उपशमित किया गया। प्रार्थीगण लगातार अधिवक्ता के सम्पर्क में थे तथा जैर आराजी का सिविल न्यायालय में भी वाद विचाराधीन था, जिसमें अप्रार्थी द्वारा उक्त पुर्नविलोकन में पारित आदेश की प्रति पेश की गई थी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन कि उन्हें दिनांक 18.11.2024 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई कदापि उचित नहीं है। उक्त प्रार्थना-पत्र पूर्णतया म्याद बाहर है तथा बिना विधिक प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज फरमावे। हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित मूल निगरानी में निर्णय पारित हो जाने पर प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र 22/2017 बअनवान पेमाराम बनाम भैराराम वगैरा प्रस्तुत किया गया, जिसमें पारित आदेश दिनांक 28.11.2022 के द्वारा प्रार्थीगण के विधिक वारिसानों को रेकर्ड पर नहीं लेने से प्रकरण को उपशमित किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी उसके उपरान्त भी उन्होने दिनांक 18.11.2024 को आदेश की जानकारी होने के गलत तथ्य अंकित किये। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं होने पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर नियत समय में उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के वारिसानों को	

अति. जिला कलेक्टर, पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 53/2024 अनवान मृत पेमाराम के कायम मुकाम बाबुलाल व अन्य बनाम भैराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिस्थापन करने का निवेदन किया है। उपर्युक्त तथ्य के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश किया है, जिसके प्रकरण संख्या ...../2015 बअनवान भैराराम बनाम पेमाराम है और उसमें उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रति पेश की गई है परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न तो उक्त सिविल वाद की प्रति पेश की गई और न ही ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये गये जिससे यह साबित हो सके कि उक्त आदेश की प्रति उनके द्वारा सिविल वाद में पेश की गई हो और उसकी जानकारी प्रार्थीगण को हुई हो। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने उज्र की ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं।

प्रकरण में यह विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या निगरानी पर सिविल प्रक्रिया संहित के आदेश 22 के प्रावधान लागू होते हैं और निगरानी को उपशमन में खारिज किया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2013(1) RRT 260 Veer Singh vs Umrao & Ors. के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 1, नियम 10–आवेदकों को प्रार्थीगण के रूप में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन क्योंकि वी की पत्नी उसकी मृत्यु के बाद प्रकरण को चलाना नहीं चाहती है–आवेदक नं. 6 से 11 व 13 से 16 मूल वाद में वी के साथ वादी थे और हित भी समान है–आवेदक हितबद्ध पक्षकार है और प्रतिस्थापित होने योग्य हैं–पक्षकारों के संयोजन हेतु परिसीमा प्रावधित नहीं है–निर्णित, आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य हैं तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, ओदश 22, नियम 3, 4 व 9–निगरानी–क्या आदेश 22 के प्रावधान निगरानी में लागू होते हैं–निर्णित, नहीं–निगरानी को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये और यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि Provision of Order 22 not applicable to revisions. इसके अतिरिक्त उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह भी अंकित किया ''.....निगरानी में अगर किसी पक्षकार का निधन हो गया और निर्धारित अवधि में विधिक वारिसान को अभिलेख पर नहीं लिया गया है तो भी निगरानी को उपशमन में खारिज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय अपने विवेकानुसार विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेकर अथवा समुचित पक्षकार को प्रतिस्थापित करके निगरानी का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर सकता है। इसके अतिरिक्त AIR 1953 Rajasthan 169, 1983 RRD 867, AIR 1966 SC 1888, AIR 1970 SC 1, AIR 1977 Calcutta 241, AIR 1982 Andhra Pradesh 278 के अन्तर्गत अभिनिर्धारित न्यायिक सिद्धान्तों पर चर्चा करने के बाद उपरोक्त प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार दिया गया – "The law laid down by the Rajasthan High Court in its full bench decision reported in AIR 1953 Rajasthan 169 is not affected by the obiter dicta of the Supreme Court in the case of Ram Chandra Agarwal

अति. जिला कलेक्टर पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 53/2024 अनवान मृत पेमाराम के कायम मुकाम बाबुलाल व अन्य बनाम भैराराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

Vs. The State of Uttar Pradesh reported in AIR 1966 SC 1888 and the ratio decided in the case of Shankar Ramchandra Abhyankar vs Krishnaji Dattatraya Bapat reported in AIR 1970 SC 1, and the provisions contained in Order 22 CPC do not apply to revision filed before this Board under Section 230 of the Rajasthan Tenancy Act of 1955." साथ ही समय सीमा का प्रावधान आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत विधिक वारिसान को अभिलेख पर लेने के सम्बन्ध में है किन्तु वर्तमान प्रकरण विधिक वारिस को अभिलेख पर लेने का नहीं अपितु पक्षकारान के प्रतिस्थापन का है। अतः हस्तगत प्रार्थना–पत्र को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदन निर्धारित 90 दिन की अवधि में नहीं किया गया है। वैसे भी यह मत पूर्व में ही प्रकट किया जा चुका है कि निगरानी के प्रकरण पर आदेश 22 के प्रावधान लागू नहीं होते है। अतः वर्तमान प्रकरण विधिक वारिसान का नहीं होकर समुचित पक्षकारान के प्रतिस्थापन का होने से मियाद का प्रश्न लागू नहीं होता है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण की दृष्टि से अधिवक्ता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के अनुकूल होने से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पुर्नविलोकन प्रार्थना–पत्र संख्या 22/2017 बअनवान पेमाराम बनाम भैराराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2022 को अपास्त किया जाता है तथा उक्त पुर्नविलोकन प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित करने एवं प्रकरण पुनः नये नम्बर पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली